न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—114 / 2022

जी.सी.एम.एस नं.—2022 / 319

1. राजसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जटसिख निवासी चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. जगराजसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जटसिख निवासी चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. अर्जनसिंह पुत्र कानसिंह जाति जटसिख निवासी चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— प्रार्थीगण

बनाम्

1. अजायबसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. जसवीरसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. गुरविन्द्रसिंह पुत्र छिन्द्रपालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सतपालसिंह पुत्र छिन्द्रपालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित—

1. श्री सुखदेव सिंह सेखो एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री बलदेव सिंह भगू एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

न्यायालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

—:: निर्णय ::— दिनांकः—२४/१२/२५

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रार्थी सं.—1 के नाम से चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. —29 पं.नं.—243 / 461 का किला नं.—1 ता 4, प्रत्येक 0.253, 10 / 1 का 0.063, 11 का 0.253 हैक्टर कुल 1.328 हैक्टर नाली दोयम, प्रार्थी सं.—2 के नाम कि.नं.—7,8, 9 प्रत्येक 0.253, 10 / 2 का 0.190, 12 का 0.253, 13 / 2 का 0.126 हैक्टर कुल 1.328 हेक्टर माली दोयम एवं पार्टी से 3 के नाम से कि.नं.—13 / 1 का 0.127, 14 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 3.163 हैक्टर [illegible] कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे आईन्दा प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जाएगा। जमाबंदीयों की प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर [illegible] से प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा [illegible] में भी उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी सं.—1 ता 4 प्रार्थीगण के खेत पडौसी है जो झगडालु किस्म के व्यक्ति है तथा खेत पडौसी होने का वेजा फायदा उठाकर अप्रार्थी सं.—1 ता 4 प्रार्थीगण की विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

के कृषि कार्य में वेजा दखलन्दाजी पैदा करने लग गए है तथा अब पिछले कई समय से आए रोज अनावश्यक रूप से अकारण प्रार्थीगण की विवादित भूमि में अवैध रूप से प्रवेश कर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थीगण की काश्त इत्यादि में दखलन्दाजी करने लग गए व प्रार्थीगण की भूमि में आवारा पशू छोड़कर प्रार्थीगण की फसल को खराब करने लगे तथा एलानिया कहते है कि उनकी जहां से ईच्छा होगी वहीं से वे प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश करेगें तथा प्रार्थीगण को उक्त विवादित भूमि काश्त नही देगें जबकि अप्रार्थी सं.–1 ता 4 को ऐसा करने कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अप्रार्थी सं.–1 ता 4 अपने उक्त नापाक ईरादे से आज से अरसा पाचं रोज पूर्व जब प्रार्थीगण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में काश्त कार्य कर रहे थे तो अप्रार्थी सं.–1 ता 4 कई व्यक्तियों का झुण्ड बनाकर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में जबरदस्ती घुस आए और प्रार्थीगण के साथ झगडा किया तथा उनके कृषि कार्य में बाधा पैदा करने लगा और सरेआम व एलानिया धमकी दी है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि को चुपचाप छोड देवे अन्यथा वह जबरदस्ती प्रार्थीगण को बेदखल कर अपना कब्जा कर लेगें जिस पर उस समय तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–1 ता 4 के उक्त मकसद को विफल कर दिया लेकिन जाते समय अप्रार्थी सं. –1 ता 4 ने धमकी दी कि प्रार्थीगण को विवादित भूमि काश्त नहीं करने देगें बल्कि वे इस जमीन पर अपना कब्जा करेगें और प्रार्थीगण को बलपूर्वक बेदखल कर देगें। बस यही बिनाय दावा एवं मुखासमत विरूद्ध अप्रार्थी सं.–1 ता 4 प्रार्थीगण को प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के खातेदार कृषक है ओर प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर शान्तिपुर्वक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी सं.–1 ता 4 को प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। लेकिन अप्रार्थीगण सं.–1 ता 4 बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थीगण को विवादित कृषि भूमि से जबरन बेदखरल कर उस पर अवैध रूप से काबिज होने के प्रयासरत है जबकि प्रतिप्रार्थी सं.–1 ता 4 को ऐसा करने का कतई विधिक अधिकार नही है। अगर अप्रार्थी सं.–1 ता 4 अपने अवैध एवं अनुचित मसुर्वे में कामयाब हो गए तो इससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारो के सवैधानिक अधिकारो से वंचित हो जाऐगें जिससे प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि पर अपने अधिकार एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिऐ अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी एवं दावेदार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं.–1 ता 3 विवादित कृषि भूमि प्रार्थी सं.–1 के नाम से चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ का मु.नं.–29 पं.नं.–[illegible] प्रत्येक 0.253, 10/1 का 0.063, 11 का 0.253 हैक्टर कुल 1[illegible] नाली दोयम, प्रार्थी सं.–2 के नाम कि.नं.–7, 8, 9 [illegible] 12 का 0.253, 13/2 का 0.126 हैक्टर कुल 1.328 हैक्टर नाली दोयम [illegible] के नाम से कि.नं.–13/1 का 0.127, 14 [illegible] कुल 3.163 हैक्टर नाली दोयम खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जा [illegible], उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से बाज वा ममनू रहे।

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण सं.–1 ता 4 को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 ता 4 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ़ का मु. नं.–29 पं.नं.–243/461 का कि.नं.–1, 10, 11, 20, 21 में 1–1 बिस्वा रास्ता है जो रास्ता मु.नं.–26 के कि.नं.–1, 10, 11, 20, 21 की लाईन पर बनी उक्त खडंवजा सडक से मु.नं.–28, 29 से आगे सीधे मु.नं.–37, 38, 40 के कि.नं.–1, 10, 11, 20, 21 की लाईन पर पिछले करीब 50 वर्षो से कच्चा रास्ता चालू है जो रास्ता अप्रार्थी सं.–1 के मु.नं.–37 से होकर अप्रार्थी सं.–2 ता 4 की भूमि तक पहुंचता है क्योंकि हम अप्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और ना ही कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा हम अप्रार्थीगण व चक के अन्य काश्तकारान उक्त रास्ता से पिछले 50 वर्षों से आवागमन कर रहे है और उक्त रास्ता पिछले 50 वर्षों से मौका पर चल रहा था लेकिन प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमि में आवागमन के लिऐ अपनी भूमि मु.नं.–29 पं.नं.–243/461 का कि.नं.–1, 10, 11, 20, 21 में कोई रास्ता नहीं देना चाहते बल्कि जो रास्ता पूर्व से इन किलाजात में रास्ता चल रहा है उसे शिघ्र ही बन्द करने के प्रयासरत हुऐ। जिस पर अप्रार्थी सं.–1 द्वारा श्रीमान न्यायालय में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके 60 जीबी (बी) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–29 प.नं.–243/461 का किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा रास्ता की स्वीकृत करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है जो प्रकरण अनवानी अजायबसिह बनाम अर्जुनसिह प्रकरण से 20/2022 पर संस्थित हुआ जो विचाराधीन है। लेकिन प्रार्थीगण अपार्थी सं.–1 द्वारा चाहे जा रहे रास्ता को स्वीकृत नही होना देना चाहते इसलिए वे येन केन प्रकरेण पिछले 50 वर्षो से चल रहे रास्ता को बन्द कर अवरूद्ध करने के प्रयासरत है इसी उदेश्य से ही प्रार्थीगण ने अनवान सदर का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा जिसके सम्बध में विस्तुत कथन अतिरिक्त आपतियों में दर्ज किए जा रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान पैदा नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं.–1 द्वारा मु.नं.–29 पं.नं. –243/461 का कि.नं.–1, 10, 11, 20, 21 में चाहे जा रहे रास्ता को स्वीकृत नहीं होना देना चाहते इसलिए वे येन केन प्रकरेण पिछले 50 वर्षो से चल रहे रास्ता को बन्द कर अवरूद्ध करने के प्रयासरत है इसी उदेश्य से ही प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि ऐसा करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है इन परिस्थितियों में यदि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं.–1 व अप्रार्थी सं.–2 ता 4 द्वारा चाहे गए रास्ता को बन्द कर अवरूद्ध करने में कामयाब हो जाते है तो इससे हम अप्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन का एक मात्र रास्ता बन्द हो जाऐगा प्रार्थीगण को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 05. 09.2022 की रिपोर्ट में रास्ता ना बन्द करने [illegible] गए है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा मनमाने तरीके से मुताबिक रिपोर्ट दिनां[illegible]9.09[illegible]2 को उक्त रास्ता बन्द कर दिया दिनांक 19.10.2022 की रिपोर्ट के अ[illegible] प्रार्थीगण को समझाईश की गई लेकिन रास्ता खोलने [illegible] आदेश प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में गलत तथ्य [illegible] किया गया है जो काबिल खारिजी के है चूकिं उक्त रास्ता पिछले करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से चल रहा था जिसको प्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया है और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है जिससे हम अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में प्रवेश कर

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अपनी कृषि भूमि को काश्त व सिंचित नहीं कर सकेगा जिससे हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि सिंचाई व काश्त के आभाव में बंजड हो जाऐगी जिससे हम अप्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ता के सम्बधं में किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नही है। अप्रार्थी सं.–1 द्वारा श्रीमान न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–29 पं.नं.–243/461 के कि नं.–1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है जो प्रकरण अनवानी अजायबसिहं बनाम अर्जुनसिह प्रकरण सं.–20/2022 पर संस्थित हुआ जो विचाराधीन है। मु.नं.–29 पं.नं.–243/461 के कि नं.–1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 को अवरूद्ध करने के प्रयासरत होने पर अपार्थी सं.–1 द्वारा एक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2022 को प्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया कि वह तहसील अनूपगढ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–37 पं.नं.–243/462 में आवागमन के लिऐ चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–29 पं.नं.–243/461 के कि.नं.– 1, 10, 11, 20, 21 मौके की यथास्थिति बनाए रखने के स्थगन आदेश पारित किए गए। जो स्थगन आदेश आज भी प्रभाव में है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.08.2022 की प्रार्थीगण को बाखुबी जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थीगण उक्त चालू रास्ता को जबरदस्ती बन्द करने के प्रयासरत हुऐ और इसी उदेश्य से इनके द्वारा पूर्व में रास्ता को बन्द करने का प्रयास किया गया जिस पर अप्रार्थी सं.–1 द्वारा दिनांक 01.09.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चत करे के आदेश दिए गए जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा जाचं हेतू हल्का पटवारी को भिजवाया गया लेकिन हल्का पटवारी द्वारा आज रोज तक जाचं रिपोर्ट पेश नहीं की जिसका वेजा फायदा उठाकर प्रार्थीगण ने दिनांक 15.09.2022 की रात्रि को उक्त चालू रास्ता पर टैक्टर से कराहा लगाकर रास्ता को समतल कर पूर्ण रूप से कंटीली तार लगाकर बन्द कर पूर्णतया अवरूद्ध दिया है। जिस पर अप्रार्थी सं.–1 द्वारा थाना पुलिस रामसिहंपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें दौराने अनुसंधान थाना अधिकारी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ से उक्त रास्ता पूर्व में किस दिनांक को अवरूद्ध किया गया था व पूर्व में किने वर्षो से रास्ता चल रहा था के सम्मे रिकार्ड चाहा गया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 29.09.2022 को यह रिपोर्ट दी गई कि चक 60 जीबी के मु.नं.–37 के लिए मुरब्बा नं.–29 के किला नं.–1,10,11,20,21 से होता हुआ काफी वर्षो से आम रास्ता चालू था जो रिकार्ड में दर्ज नही है स्थगन के बाद प्रार्थीगण द्वारा यह रास्ता बन्द कर दिया गया आज दिनांक को रास्ता बन्द है थाना पुलिस रामसिहपु[illegible] मय रिपोर्ट पटवारी हल्का सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए मु.नं.–29 के किला नं.–1, 10, 1[illegible], 21 में चल रहे वर्षा यह कि इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की पुराने रास्ता को बन्द करके हम अपार्थीगण का आवागमन अव[illegible] कर दिया व विवादित रास्ता की मौका की स्थिति में परिवर्तन कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की उल्लधंना की है। सम्बधं में अप्रार्थी सं.–1 द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध अवमानना प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है जो विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

यह कि चूंकि अपार्थी सं.–1 द्वारा पिछले 50 वर्षो से चालू रास्ता चक 60 जी.बी (बी) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–29 पं.नं.–243/461 के कि.नं.–1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा रास्ता को स्वीकत करवाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है लेकिन प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के मार्फत अप्रार्थी सं.–1 द्वारा रास्ता स्वीकत करवाने हेतु प्रस्तुत किए गए प्रकरण को विफल करने हेतू प्रयासरत है इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मौजुदा स्टेज पर काबिल निरस्ती के है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थीगण की विवादित कृषि भूमि के किला नं.–1,10,11,20,21 में मौका पर आम रास्ता चालू था जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 05.09.2022 की रिपोर्ट में रास्ता ना बन्द करने बाबत तथ्य दर्ज किए गए है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा मनमाने तरीके से मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 29.09.2022 को उक्त रास्ता बन्द कर दिया दिनांक 19.10.2022 की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को समझाईश की गई लेकिन रास्ता खोलने से इन्कार कर दिया। इस आम रास्ता को अवरूद्ध करने व रास्ता की कार्यवाही को प्रभावित करने लिए प्रार्थीगण ने सही तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी कतई सद्‌भाविक नहीं है और ना ही प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आया है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है अतः उक्त प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के विरूद्व तय किया गया है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने से वचित हो जायेगा। जबकि कानून व अप्रार्थीगण सं.–1 अपने खातेदारी कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी है अप्रार्थी सं.–1 कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन तथ्य भी प्रार्थीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

अपूर्णीय क्षति :–चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु अप्रार्थीगण के विरूद्व तय किये जा चुके है। प्रार्थीगण के अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नही कर सकता है ऐसी स्थिती में उक्त प्रक[illegible]ाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को पाबंध किया जाता है अप्रार्थी [illegible] आपने खातेदारी कृषि को उपयोग व उपभोग करने से वचित हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण के मुकाबले अप्रार्थी को अधिक क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीगण

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक २५/१२/२५ को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested